प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी
( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया
झासी ।

विषयः- न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) मे कर्मचारीगण द्वारा कॉज लिस्ट समय से तैयार न किये जाने के संबंध में ।

महोदया

सादर ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे न्यायालय में अक्सर कॉज लिस्ट समय से तैयार नही की जाती है और अक्सर 11 बजे के बाद ही कॉज लिस्ट तैयार होकर प्रस्तुत की जाती है। आज भी दिनांक- 01. 02. 2021 को समय लगभग 10. 30 बजे तक मेरे मांगे जाने के बाद भी कॉज लिस्ट मेरे समक्ष रीडर द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी और रीडर से पूछे जाने पर रीडर द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि आशुलिपिक व कार्यालय लिपिक को डेली की कॉज लिस्ट प्रिंटर से निकालने के लिए कहा जाता है जो हिलाहवाली करते हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा 1. श्री मोहित कुमार ( आशुलिपिक), 2. श्री सौरभ दुबे ( वरिष्ठ लिपिक) एवं 3. श्री जितेन्द्र तिवारी ( सहा० लिपिक) को नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिसमें आशुलिपिक द्वारा मुख्य रूप से अपने स्पष्टीकरण में कथन किया गया है कि आज दिनांक- 01. 02. 2021 को रीडर द्वारा उनसे कॉज लिस्ट निकालने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। सौरभ दुबे ( वरिष्ठ लिपिक) व जितेन्द्र तिवारी ( वाद लिपिक) द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि आज दिनांक- 01. 02. 2021 को रीडर द्वारा उनसे भी कॉज लिस्ट निकालने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया।

उक्त कर्मचारीगण की आख्याओं से ज्ञात होता है कि उक्त कर्मचारीगण की आख्या में यह तथ्य आया है कि कॉज लिस्ट उनके द्वारा ही दिन- प्रतिदिन रीडर द्वारा कहने पर ही निकाली जाएगी और यदि रीडर द्वारा उनसे कॉज लिस्ट निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा तो उनके द्वारा कॉज लिस्ट नहीं निकाली जाएगी।

चूँकि उक्त कर्मचारीगण द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने में शिथिलता व लापरवाही कारित की जाती है। इससे दिन- प्रतिदिन न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है और आज भी कर्मचारीगण द्वारा कॉज लिस्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समय लगभग 13. 00 बजे तक न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ और समय लगभग 13. 00 बजे कॉज लिस्ट मेरे सामने प्रस्तुत की गयी।

अतः माननीय महोदया से निवेदन है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही कर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

01.02.2021
( विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

दिनांक- 01. 02. 2021

संलग्नकः-

1. रीडर की आख्या की मूल प्रति( 01) ।
2. मेरे नोटिस की मूल प्रति ( 01) ।
3. कर्मचारीगण द्वारा प्रस्तुत आख्या मूल( 03) ।

सेवा में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश FTC/14th FC
झांसी।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी पेशकार के पद पर पदस्थ है। पेशकार द्वारा आशुलिपिक व कार्यालय लिपिक को रोज प्रतिदिन डेली काज लिस्ट प्रिन्टर से निकालने के लिए कहा जाता है तो हीलाहवाली करते हैं और काज लिस्ट जिस दिन का रहता है उसी दिन 11 बजे के लगभग निकालते हैं कई बार कहने पर इस तरह से करने पर पत्रावली का मिलान समय से नहीं हो पाती है। कुछ पत्रावली कार्यालय व उपलब्ध आदि में करायी जाती हैं। पत्रावली व काजलिस्ट समय से न मिलने पर पत्रावली गुम होने व पत्रावली को हेरा फेरी करवाने के फिराक में रहते हैं। श्रीमान जी पत्रावली गुम हो जाने की स्थिति में पत्रावली की जिम्मेदारी सारी आशुलिपिक व कार्यालय लिपिक की होगी।

श्रीमान जी स्थिति की जानकारी हेतु मान्यवर की सेवा में प्रेषित है।

दिनांक 01.2.21

प्रार्थी
[signature]
मनोज कुमार साहू पेशकार
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश
FTC/14th FC झांसी।

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 01. 02. 2021

नोटिस

बनाम

1. श्री मोहित कुमार ( आशुलिपिक)
2. श्री सौरभ दुबे ( वरिष्ठ लिपिक)
3. श्री जितेन्द्र तिवारी ( सहा० लिपिक)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी, ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

विषयः- न्यायालय में कॉज लिस्ट उपलब्ध न होने के संबंध में।

प्रतिदिन मेरे संज्ञान में आ रहा है कि न्यायालय की कॉज लिस्ट मेरे मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं रहती है और रीडर को इस बावत कई बार मौखिक रूप से कहा गया कि कॉज लिस्ट समय से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया करें, परन्तु रीडर द्वारा अवगत कराया गया कि आशुलिपिक व कार्यालय लिपिक को प्रतिदिन कॉज लिस्ट निकालने के लिए कहा जाता है तो हिलाहवाली करते हैं।

आज दिनांक- 01. 02. 2021 को समय लगभग 10. 30 बजे पुनः मेरे द्वारा रीडर से आज की कॉज लिस्ट मागी गयी, इस पर रीडर द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि आशुलिपिक व कार्यालय लिपिक को प्रतिदिन डेली की कॉज लिस्ट प्रिंटर से निकालने के लिए कहा जाता है जो हिलाहवाली करते हैं।

इस समय, समय लगभग 10. 45AM हो रहा है, किन्तु कॉज लिस्ट उपलब्ध नहीं है। अतः अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब अभी प्रस्तुत करें, जिससे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को इस संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित किया जा सके।

01.02.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

01/02/2021

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), झांसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

**विषय- नोटिस दिनांक-01.02.2021 के संबंध में आख्या/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत।**

महोदय,

नोटिस दिनांकित-01.02.2021 के संबंध में ससम्मान निवेदन यह है कि न्यायालय में कॉज लिस्ट निकालने की जिम्मेदारी न्यायालय के रीडर की होती है, किन्तु पेशकार द्वारा कम्प्यूटर का उक्त कार्य आने के बावजूद भी न्यायालय के कार्य हेतु कॉज लिस्ट नहीं निकाली जाती है एवं अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए रीडर द्वारा प्रतिदिन कॉज लिस्ट निकालने के लिए आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिक पर दबाव बनाया जाता है। आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिक द्वारा उक्त कार्य हेतु कभी रीडर को मना नहीं किया गया एवं अब तक प्रतिदिन कॉज लिस्ट आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिकगण द्वारा ही रीडर को उपलब्ध करायी जाती रही हैं, किन्तु आज दिनांक-01.02.2021 को रीडर द्वारा मुझ आशुलिपिक से कॉज लिस्ट निकालने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया एवं प्रार्थी ने समझा की कॉज लिस्ट रीडर द्वारा कार्यालय लिपिकगण से निकलवा ली गई होगी। इसलिए प्रार्थी को आज की कॉज लिस्ट अब तक नहीं निकलने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण/आख्या महोदय के सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रार्थी

M.K.

मोहित कुमार
(आशुलिपिक)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ०टी०सी०), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

दिनांक-01.02.2021

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), झांसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

**विषय- नोटिस दिनांक-01.02.2021 के संबंध में आख्या/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत।**

महोदय,

नोटिस दिनांकित-01.02.2021 के संबंध में ससम्मान निवेदन यह है कि न्यायालय में कॉज लिस्ट निकालने की जिम्मेदारी न्यायालय के रीडर की होती है, किन्तु पेशकार द्वारा कम्प्यूटर का उक्त कार्य आने के बावजूद भी न्यायालय के कार्य हेतु कॉज लिस्ट नहीं निकाली जाती है एवं अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए रीडर द्वारा प्रतिदिन कॉज लिस्ट निकालने के लिए आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिक पर दबाव बनाया जाता है। आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिक द्वारा उक्त कार्य हेतु कभी रीडर को मना नहीं किया गया एवं अब तक प्रतिदिन कॉज लिस्ट आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिकगण द्वारा ही रीडर को उपलब्ध करायी जाती रही हैं, किन्तु आज दिनांक-01.02.2021 को रीडर द्वारा मुझ लिपिक से कॉज लिस्ट निकालने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया एवं प्रार्थी ने समझा की कॉज लिस्ट रीडर द्वारा आशुलिपिक से निकलवा ली गई होगी। इसलिए प्रार्थी को आज की कॉज लिस्ट अब तक नहीं निकलने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण/आख्या महोदय के सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रार्थी

1/2/2021

दिनांक-01.02.2021

सौरभ दुबे
(वरिष्ठ लिपिक)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ०टी०सी०), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), झांसी
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

**विषय- नोटिस दिनांक-01.02.2021 के संबंध में आख्या/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत।**

महोदय,

नोटिस दिनांकित-01.02.2021 के संबंध में ससम्मान निवेदन यह है कि न्यायालय में कॉज लिस्ट निकालने की जिम्मेदारी न्यायालय के रीडर की होती है, किन्तु पेशकार द्वारा कम्प्यूटर का उक्त कार्य आने के बावजूद भी न्यायालय के कार्य हेतु कॉज लिस्ट नहीं निकाली जाती है एवं अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए रीडर द्वारा प्रतिदिन कॉज लिस्ट निकालने के लिए आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिक पर दबाव बनाया जाता है। आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिक द्वारा उक्त कार्य हेतु कभी रीडर को मना नहीं किया गया एवं अब तक प्रतिदिन कॉज लिस्ट आशुलिपिक एवं कार्यालय लिपिकगण द्वारा ही रीडर को उपलब्ध करायी जाती रही हैं, किन्तु आज दिनांक-01.02.2021 को रीडर द्वारा मुझ लिपिक से कॉज लिस्ट निकालने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया एवं प्रार्थी ने समझा की कॉज लिस्ट रीडर द्वारा आशुलिपिक से निकलवा ली गई होगी। इसलिए प्रार्थी को आज की कॉज लिस्ट अब तक नहीं निकलने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण/आख्या महोदय के सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रार्थी

1/02/21

दिनांक-01.02.2021

जितेन्द्र तिवारी

(वाद लिपिक)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(एफ०टी०सी०), झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।